न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:– साधुराम जाट, आर.ए.एस.
दायरा दिनांक :– 18.09.2017
प्रार्थना–पत्र सं.– 30/2017
निर्णय दिनांक 01.10.2018

1. कमलनयन पुत्र रतिराम आति अहीर निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर,राज0

प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र : पत्थर गढी
अर्न्तगत धारा – 111 व 128 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय:– दिनांक :–01.10.2018

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्षकारण उपस्थि आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा की आराजी ख0न. 633/1.16 हे0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0मुण्डावर मे स्थित होकर आ0ख0न0 642/0.35 हे0 अप्रार्थी संख्या 1 की है। तथा उक्त आराजीयात के मध्य कदीमी डोल कायम रही है। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 अनावश्यक रूप से मिसमार करता रहता है तथा मिन प्रार्थी की आराजी को धीरे–धीरे दबा लिया। जिसे मिन प्रार्थी ने पैमाईश कराने हेतु श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2014 को पेश किया। जिसे हल्का पटवारी को आदेश कमांक/भू0अ0/1875 दिनांक 02.07.2014 को दिये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 09.09.2014 को ख0न0 633 पर मौके पर जाकर पैमाईश कि गई। जिसमें कुछ भूमि ख0न0 641 व 642 में दबी हुई पाई गई तथा मौके पर उपस्थित ख0न0 641,642,633 के काश्तकारों को सीमाज्ञान कराया गया तथा मौका पर्चा पढ कर सुनाया गया रिपोर्ट संलग्न है। पैमाईश अनुसार ख0न0 641 के काश्तकार ने पैमाईश अनुसार ख0न0 633 की दबी हुई आराजी को छोड दिया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 जो ख0न0 642 का काश्तकार है। बार बार हरकतो से बाज नही आ रहा तथा आराजी की डोल तोडकर भूमि मिला रखी है तथा दबी हुई भूमि को नही छोड रहा है तथा मना करने पर लडाई झगडे पर उतारू हो जाता है। इस लिए मिन प्रार्थी अपनी आराजी की पैमाईश कराकर, पैमाईश अनुसार पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। ख0न0 633 के अन्य भी सहखातेदार है लेकिन उक्त आराजी प्रर प्रार्थी काश्त करता है और सहखातेदारों से कोई रिलिफ नही चाही गई है तथा सहखातेदारों व प्रार्थी के अधिकार समान है का निवेदन करते हुवें प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी की पैमाईश कराई जाकर, पैमाईश के अनुसार आराजी ख0न 0633/1.16 है0 की पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाने एवं पैमाईश अनुसार आराजी का कब्जा मिन प्रार्थी को दिलाया जानें तथा ख0न0 642 व 633 की डोल को कायम कराया जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की बाद विधिवत तलवी अप्रार्थी संख्या 1 ने जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र को अस्वीरकार करते

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हुऐ जवाब का सारतः रहा की अप्रार्थी ने कभी डोल को जवरन मिसमार नही किया है। पूर्व मे ख0न0 642

रामसेवक,फत्ता,बिशम्बर,रोहिताश,पु0 चुन्ना की आराजी थी। जिसे प्रार्थी ने खरीद रखी थी परन्तु बैयनामा नही कराया था। इस के पश्चात अप्रार्थी को ख0न0 642 दे दिया व बडे रकबे की रकम अप्रार्थी से ले ली और ख0न0 642 का बैयनामा सीधे अप्रार्थी को करा दिया एवं अप्रार्थी ने ख0न0 632 का बैयनामा प्रार्थी के करा दिया परन्तु बैयनामा कराने के लिए जमावंदी लेने पर जानकारी हुई की ख0न0 642 रकबा 1बीधा 8 बिस्वा है जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थी से 1 बीधा 10 बिस्वा के हिसाब से रकम ले ली थी। इस पर 2 बिस्वा का ऐतराज रहा तो प्रार्थी ने अपने ख0न0 633 मे से 2 बिस्वा रकबा ख0न0 641 मे दे दिया और गांव मे लिखा पढी करा ली यह 2 बिस्वा रकबा अप्रार्थी के कब्जें में रहेगा। हम कोई ऐतराज नही करेंगें। इस बाबत लिखा पढी रही है। इसी अनुसार ही डोल कायम मौजीजा व्यक्तियों के समक्ष कर दी गई का निवेदन करते हूवे प्रार्थी के मन मे बदयान्ती आना लिखा पढी को मामने से इन्कार कर दिया जाना और अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना तथा अप्रार्थी सन् 2001 से काबिज होकर 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होना एवं प्रार्थना पत्र के जर्ये अप्रार्थी का शान्ति पूर्ण कब्जा नही हटाया जा सकता केवल नियमित वाद के द्वारा आदेश पारित कराने पर ही प्रार्थी अप्रार्थी को बेदखल कराने का अधिकारी है का निवेदन करते हुवे प्रार्थी का प्राथना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्राथना पत्र के जिमनों को दौहराते हुये जवाब प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुऐ प्रार्थी का प्राथना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन रहा । ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिमनो को अस्वीकार करते हुऐ उपरोक्तानुसार रकबा 2 बिस्वा के बाबत का निवेदन करते हुए अप्रार्थी का 12 वर्ष से अधिक का कब्जा शान्ति पूर्वक होना एवं प्रार्थी केवल नियमित वाद के द्वारा ही अप्रार्थी को बेदखल कराने का अधिकारी है का कथन करते हुए मय हर्जा खर्चा प्राथना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन रहा। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र के जावाब स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया एवं प्रार्थना पत्रानुसार ही उभय पक्षकारानं के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन को तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पैमाईश रिपॉर्ट दिनांक 09.09.2014 को ध्यान मे रखते हुऐ यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः यह न्यायाल प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिती में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 633 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर के बाबत पैमाईश कराई जाकर,पैमाईश के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी है।

यह निर्यण आज दिनांक 01.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायाल की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 01/10/18
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner